कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
03/2022 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित। तहसीलदार गुढा गौड़जी के तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिसल है। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र हेतु दिनांक 15.3.2022 को लोक अदालत कैम्प कोर्ट उदयपुरवाटी में पेश हो। अ५६	03/03/2022
3/22 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र श्रवण की गई। बहस के दौरान प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में प्रार्थी के पिता की मृत्यु के पश्चात नामान्तरण तस्दीक हुआ उसमें प्रार्थी के नाम की जगह पिता का नाम तथा पिता के नाम की जगह प्रार्थी का नाम अंकित हो गया। अतः उसे दुरुस्त करवाया जावे। अप्रार्थी ने जांच रिपोर्ट में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में पिता का नाम पहले व पुत्र का नाम बाद में दर्ज हो गया जो गलत है। अतः प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि की खातेदारी में ओमप्रकाश पुत्र विजयकुमार के स्थान पर विजय कुमार पुत्र ओमप्रकाश दुरुस्त किया जाना उचित है। आदेश प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अ. धारा 136 LR ACT स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम गुढा गौड़जी के भूमि खसरा नम्बर 1044, 1045, 1046 कुल किता 3 कुल रकबा 1.16 है. के राजस्व रिकार्ड में ओमप्रकाश पुत्र विजय कुमार की जगह विजय कुमार पुत्र ओमप्रकाश दुरुस्त किया जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा। तहसीलदार गुढागौड़जी तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें। [illegible] केवल कुमार पिता नम्बर [illegible] दर्ज हो। अ५६ 15/3/22	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:31:08 IST
Reason: SelfAttested